राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प 4(IV)/कृ.यंत्र/2017–18/ 2272-2498 दिनांकः 03/7/2017

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....।

विषय :–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18 बाबत्।

कृषि यंत्रीकरण का लाभ राज्य के कृषकों, विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों, जो अपनी सीमित आय के कारण उन्नत एवं मंहगे कृषि उपकरणों का क्रय करने में सक्षम नहीं हैं, तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (**SMAM**) योजना के तहत राज्य के समस्त विकास खण्डों में कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र योजना का क्रियान्वयन किया जाना निश्चित किया गया है। इन कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से राज्य के कृषकों को सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिये आवश्यकता के अनुसार उन्नत कृषि उपकरण किराये पर लेने की सुविधा प्राप्त होगी।

भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (**SMAM**) योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र)** की स्थापना के लिए लागत का 40 प्रतिशत तक बैक एन्ड सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढावा देने के परिपेक्ष्य में कस्टम हायरिंग केन्द्रो के स्थापना के संबध मे मुख्यमंत्री घोषणा (**C.M Announcement**) की क्रियान्विति के क्रम में इस वर्ष राज्य मे 750 कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना प्रस्तावित है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इस परिपेक्ष्य मे कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र)** के भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश तथा योजना के सामान्य निर्देश संलग्न कर आप से अनुरोध है **कि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये आपके जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना हेतु न्युनतम तीन (3) प्रस्ताव (सामान्य, अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति के आवेदन सम्मिलित करते हुए) आगामी 11 अगस्त 2017 तक अग्रेषित करने का श्रम करे।**

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक–प.4 (iv) यंत्र/2017–18/ 2272-2498 दिनांकः 03/7/2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त.....।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय), मुख्यालय, जयपुर।

10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/–शस्य ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन).....।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानेर.....।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),.....।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर ईक्विपमेण्ट मैन्यूफेक्चिरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य में निजी हित ग्राहियों/उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों, कृषि यंत्र विनिर्माताओं फर्मों के स्वयं के द्वारा अथवा फ्रेन्चाइजी के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राथमिकता के आधार पर वित पोषण सुनिश्चित करने हेतु दिशा–निर्देश सदस्य बैंकर्स को भिजवाने की व्यवस्था करने हेतु।
21. ई.एम.3 एग्रीसर्विसेस प्रा0 लि0, नोएडा/महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0, मुम्बई/ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0, चेन्नई।
22. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

कस्टम हायरिंग केन्द्र

(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र)

I. कृषि यंत्रीकरण का लाभ राज्य के कृषकों, विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों, जो अपनी सीमित आय के कारण उन्नत एवं मंहगे कृषि उपकरणों का क्रय करने में सक्षम नहीं हैं तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त विकास खण्डों में कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र योजना का क्रियान्वयन किया जाना निश्चित किया गया है। इन कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से राज्य के कृषकों को सभी प्रकार के कृषि कार्यों के लिये आवश्यकता के अनुसार उन्नत कृषि उपकरण किराये पर लेने की सुविधा प्राप्त होगी। इन उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से आदान लागत में कमी एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जाना संभव हो सकेगा।

II. राज्य में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM 2016) के आयोजन के दौरान ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लिमिटेड, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा तथा ई.एम.3 एग्री सर्विसेस प्रा0 लि0 (जान डीर की भागीदारी में) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये थे जिनके अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में 2652 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना किया जाना निर्धारित है।

III. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत विभाग के माध्यम से तथा चिन्हित फर्मों के साथ समझौता ज्ञापन में माध्यम से स्थापित किये जाने वाले कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु योजनाओं का विवरण एवं सामान्य दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

(अ) फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग

1. **कस्टम हायरिंग उपक्रम (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग) के उद्देश्यः–**
   - 1.1 ऐसे जिलों में, जहाँ फार्म पावर की उपलब्धता कम है कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देना।
   - 1.2 विभिन्न कृषि संक्रियाओं में उपयोग में आने वाले उन्नत/नवीन कृषि यंत्रों/उपकरणों को किराये पर उपलब्ध कराने हेतु सेवाऐं प्रदान करना।
   - 1.3 क्रोपिंग सीजन (Cropping Season) के समय बड़े क्षेत्र विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त जोत क्षेत्र में यंत्रीकरण की गतिविधियों को विस्तारित करना।
   - 1.4 फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) के संचालन एवं कृषि यंत्रों/उपकरणों के रख–रखाव में विनिर्माताओं/कृषि विज्ञान केन्द्रों को सम्मिलित करना।
   - 1.5 फसल उत्पादन हेतु उन्नत/नवीन विकसित कृषि यंत्रों/उपकरणों के उपयोग बढ़ावा देना।
2. **फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) का परिचालन क्षेत्र एवं संरचना :–**
   - 2.1 फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) की स्थापना राज्य की वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित जिलों में की जायेगी।
   - 2.2 राज्य की वार्षिक कार्य योजना में चयनित जिलों के ऐसे गांवो जहां फार्म पावर उपलब्धता कम है तथा लघु एवं सीमान्त जोतो के अन्तर्गत बड़ा क्षेत्र है, का चयन योजनान्तर्गत किया जा सकेगा।
   - 2.3 प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) प्रतिदिन कम से कम 10 हैक्टेयर क्षेत्र में अथवा प्रति सीजन कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्र में सेवाऐं प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये। कृषि यंत्रों/उपकरणों को समस्त कृषि संक्रियाओं हेतु यथा भूमि को तैयार करने से अवशिष्ट प्रबन्धन तक, किराये पर दिया जा सकता है।
   - 2.4 प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) की स्थापना कलस्टर आधारित, विशिष्ट फसल आधारित तथा लागत आधारित उपागम (approach) पर की जायेगी एवं प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग (कस्टम हायरिंग केन्द्र) में स्थानीय आवश्यकता के